Date
28/05/2020

Subject - New Efforts in Elementary Education
Topic - Ch-1st - National Children Policy

D.El.Ed.
2nd Sem

(राष्ट्रीय बाल नीति)

बच्चो के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की।

इसके अन्तर्गत -

(i) बालक के जन्म से पहले तथा जन्म के बाद के विकास की पर्याप्त सेवाए प्रदान करना राज्य का मुख्य दायित्व है

(ii) बालक जब तक जीवन यापन मे सक्षम न हो तब तक उसे माता - पिता से अलग नही किया जा सकता।

(iii) 6 से 14 वर्ष तक के बच्चो की निःशुल्क शिक्षा के लिए राज्य द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

(iv) बालको के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

(v) जो बालक अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने मे सक्षम नही है, राज्य उनको शिक्षा प्रदान करने की वैकल्पिक व्यवस्था करें।

(vi) राज्य को बच्चो को मादक पदार्थों के सेवन, उत्पादन एवं व्यापार से बचाना चाहिए।

(vii) राज्य को विद्यालयों मे शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियो को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(viii) राज्य द्वारा एक व्यापक स्वास्थ्य क्रम चलाना चाहिए जो विद्यालयो से भी सम्बद्ध हो, जिसमे राज्य के सभी बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हो।

(ix) अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए राज्य को उपयुक्त प्रावधान करने चाहिए।

(x) राज्य को बच्चों को आर्थिक शोषण से सुरक्षा देने के साथ - साथ बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के समुचित विकास का प्रबन्ध करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

बाल अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान :-

बालको के संरक्षण के लिए निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान किए गए -

1] अनुच्छेद 23 के अनुसार - स्त्री एवं बच्चो के क्रय-विक्रय एवं उनका अनैतिक व्यापार दण्डनीय अपराध है।

2] अनुच्छेद 24 के अनुसार - बच्चो को कारखानों या जोखिम वाले कार्यो मे लगाना भी दण्डनीय अपराध है।

3] बाल नियोजन अधिनियम 1938, बालश्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम 1933, भारतीय कारखानाअधिनियम 1948, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार (1961) ↙ शिशु अधिनियम 1961 के अनुसार, कारखानों एवं खानों मे 14 वर्ष की आयु तक बच्चो की नियुक्ति करने का प्रतिषेध करता है।

4] 1992 के अधिनियम 34 द्वारा विकलांग बच्चों को प्रशिक्ष देने के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम एवं तकनीकियों को मानकीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

5] 2002 के 86 वें संशोधन के खण्ड 3 मे अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत 21 क एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमे 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चो को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को मौलिक अधिकार बना दिया गया।

—

Scanned with CamScanner